

क्र०स०

दिनांक आज्ञा  
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

02/12/24

पत्रावली पेश हुई। वकील (अधीन) 3 फरिफ्त।  
 वही का ब्राह्मण आर्डर 9 निमम 5 जा.दी  
 में खारिज किया जा चुका है रतलिय  
 अब न. 2 फा.प. का कोई औपचार्य  
 शेष नहीं रह पाता है। अतः उकीर का  
 फा.प. न. 2 आर्डर 9 निमम 5 के तहत  
 खारिज किया जाता है। पत्रावली के तहत  
 शुमार टोक रज नम्बर से कम हो  
 आदेश हुलै - मामालम में पुनाया  
 गया।

*(Signature)*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 साँभर लेक

